न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 142/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/199)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोनजिन्द्र कौर पत्नी गुरमन सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 नजदीक खालसा स्कूल, श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. जगमीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 गुरूसर श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. रघुवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 गुरूसर श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 23.05.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

--निर्णय--

दिनांकः 06.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 128/128 के मुरब्बा नम्बर 21, 91/15 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण जान पहचान के सदस्यगण है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है, लेकिन वादी ने प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी सुविधो के अनुसार भूमि का बंटवारा कर रखा है। बंटवारानामा अनुसार वादी मोनजिन्द्र कौर को चक 20 ओ के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 91/15 की 0.126 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जगमीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीर सिंह को बंटवारानामा में चक 20 ओ के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 19/2 की 0.084 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/3 की 0.068 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 91/15 की 0.076 हैक्टेयर कुल 1.670 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। तथा उसी के अनुसार भूमि पर शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादी बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काश्त करते है, लेकिन उक्त भूमि मुताबिक काश्त के अनुसार दर्ज नही है। रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार भूमि का अंकन नही होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा का अन्य प्रतिवादीगण से, अपने नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज करवाने चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। भूमि कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण वादीगण न ही उसमें कोई नयी सुविधा प्राप्त कर सकते है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर, कई बार आग्रह किया गया कि हम सहमति से भूमि का विभाजन करवा लेते है, लेकिन पक्षकारान अन्यंत्र जगह पर होने का, कार्य में व्यस्त होने का व अन्य घरेलू परेशानियो का हवाला देते रहते है और वादी के साथ सहमति प्रकट नही कर रहे है। आज से दस रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को पुनः निवेदन किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उनका नही रहा है। इस कारण वादी को उनके विरूद्ध वादहेतुक उत्पन्न हुआ। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर कि राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 128/128 के मुरब्बा नम्बर 21, 91/15 की

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि में से वादी को बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी मोनजिन्द्र कौर व प्रतिवादीगण जगमीत सिंह, रघुवीर सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 128/128 के मुरब्बा नम्बर 21, 91/15 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि में से वादिया मोनजिन्द्र कौर के नाम मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0. 228 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 91/15 की 0.126 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 जगमीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 रघुवीर सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 19/2 की 0.084 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/3 की 0.068 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 91/15 की 0.076 हैक्टेयर कुल 1.670 हैक्टेयर भूमि का अलग से खाता व लगान कायम किया जाता है। उभयपक्ष को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम करने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वादपत्र अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति सावित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 128/128 के मुरब्बा नम्बर 21, 91/15 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	मोनजिन्द्र कौर पत्नी गुरमन सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 नजदीक खालसा स्कूल, श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	20 ओ	21	1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
	(1.265 हैक्टेयर)		91/15	00	0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	जगमीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 गुरूसर श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	20 ओ	21	3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5/2	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				7,8,12	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
	(1.012 हैक्टेयर)			14/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
	रघुवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 गुरूसर श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।			19/2	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
				20/3	0.068 हैक्टेयर	नहरी	0.60
	(0.658 हैक्टेयर)		91/15	00	0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

सहायक कलक्टर एवं पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का एक भाग माना जावेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) ✦

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मोनजिन्द्र कौर बनाम जगमीत सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53, 188, 209 आरटीए** मुकदमा नम्बर **142/2025**
निर्णय दिनांक :-06.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 128/128 के मुरब्बा नम्बर 21, 91/15 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	मोनजिन्द्र कौर पत्नी गुरमन सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 नजदीक खालसा स्कूल, श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	20 ओ	21	1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
	(1.265 हैक्टेयर)		91/15	00	0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	जगमीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 गुरूसर श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	20 ओ	21	3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5/2	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				7,8,12	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
	(1.012 हैक्टेयर)			14/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
	रघुवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह			19/2	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
	जाति जटसिख निवासी वार्ड			20/3	0.068 हैक्टेयर	नहरी	0.60
	नम्बर 01 गुरूसर श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.658 हैक्टेयर)		91/15	00	0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे।
आज दिनांक 11.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	200	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	204	**00**	**योग**	**02**	**00**

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 11.06.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/360
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर